संख्या-76/2017/आर-988/26-3-2017-10(4)/2012टी.सी.

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 15 मई, 2017

विषयः-वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत संचालित वनबन्धु कल्याण योजनान्तर्गत स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-332/ज.जा.वि./2016-17 दिनांक-30.03.2017 एवं पत्रांक-14/ज.जा.वि./2017-18, दिनांक-12.04.2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-''2225-02-796-01-0110-20-सहायता अनुदान'' अन्तर्गत संचालित वनबन्धु कल्याण योजनान्तर्गत प्राविधानित आय-व्ययक धनराशि रूपया-95.00 लाख के सापेक्ष प्रथम 05 माह हेतु स्वीकृत लेखानुदान की धनराशि रूपया-39.00 लाख में से रूपया-5.00 लाख (रूपये पांच लाख मात्र) धनराशि की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)-उक्त स्वीकृति धनराशि से जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित 06 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को स्वच्छ पेयजल हेतु वाटर कूलर की स्थापना की जायेगी एवं प्रचार-प्रसार किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार की विचलन की स्थिति अनियमितता मानी जायेगी।

(2)-वाटर प्यूरीफायर एवं वाटर कूलर तथा अन्य सुसंगत सामग्रियों का क्रय सुसंगत शासनादेशों एवं स्टोर पर्चेज रूल सम्बन्धी सुसंगत नियमों के अधीन किया जायेगा।

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षों में स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखानों/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है।

(4)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5)-स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र, विद्यालय के नाम की सूचना सहित यथासमय महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद के साथ-साथ शासन को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0110-वनबन्धु कल्याण योजना (के.100प्रति./रा.0प्रति.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)' के नामें डाला जायेगा।

3- उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक-02.01.2017 एवं शासनादेश सं0-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक-20.03.2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय
कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृं0संख्या-76/2017/988(1)/26-3-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)

5- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)

6- राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2

7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।